न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –93/2025 दायर दिनांक 20.05.2025 GCMS CASE NO-2025/108

शेरसिंह पुत्र डोगरसिंह जाति रायसिख साकिन 39 एमओडी खेत में ढाणी तहसील सूरतगढ़

––अपीलांट

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र नरसीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 डीओ ए भोपालपुरा
2. नरसी पुत्र रामरख जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

––रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री सुभाष चन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से
3. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से
4. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 3 ओर से

–::निर्णय::– दिनांकः 19.01.2026

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 09.05.2025 जिसके द्वारा तहसील सूरतगढ़ चक 2 डीओ ए के पत्थर न. 23/23 के किला न. 23 में 0.018 है0 पश्चिमी पासा व 18 में 0.018 है0 पश्चिमी पासा व 13 में 0.004 है0 पश्चिमी–दक्षिणी कोने में गैरमुमकिन रास्ता को खुलवाने के आदेश पारित किये है, के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द्र, रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि यथा तहसील सूरतगढ के चक 2 डीओ ए के पत्थर न. 23/23 (24) के किला न 13 ता 18 व 21/2 ता 25/1 मे 2.531 है0 रकबा मे से किला न. 13–18–23 मे रास्ता स्वीकृत करने बाबत रेस्पोडेंट संख्या 2 नरसी द्वारा न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 136/2018 अनवान नरसी बनाम शेरसिह पेश किया, जिसमें उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ ने मुझ अपीलांट की विधिवत तामील करवाये बिना ही एकतरफा सुनवाई करते हुए मुझ अपीलांट के विरुद्ध निर्णय दिनांक 06.11.2018 को रेस्पोडेंट संख्या 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय दिनांक 06.11.2018 की पालना में रेस्पोडेंट संख्या 2 ने राजस्व रिकार्ड में अपीलांट की खातेदारी में रास्ता दर्ज करवा दिया। अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 06.11.2018 के खिलाफ श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील संख्या 44/2019 अनवान शेरसिह बनाम नरसी पेश की जिसमें दिनांक 28.[illegible] को अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ को पुनः सुनवाई हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:53:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

रिमाण्ड किया गया। इस प्रकार श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 06.11.2018 निरस्त किया जा चुका है, जिससे अपीलांट के रकबा से स्वीकृत रास्ता निरस्त हो चुका है, तब अपीलांट के रकबा में से रास्ता खुलवाने का तहसीलदार सूरतगढ़ को अधिकार नही था। जैर अपील आदेश करने से पूर्व कोई पत्रावली भी मुरतीब नहीं की तथा अपीलान्ट को साक्ष्य/सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में चालू रास्ता ही तहसीलदार द्वारा खुलवाया जा सकता है, जबकि यह रास्ता कभी चालू ही नही था। धारा 251 में प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार पहले 45 दिन तक ग्राम पंचायत को रास्ता खुलवाने का अधिकार होता है। उसके पश्चात तहसीलदार कार्यवाही कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने सीधे ही अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त रास्ता खुलवाने संबंधी जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने सामुहिक रूप से बहस करते हुए कथन किया कि मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष चक 2 डीओ ए के पत्थर न. 23/23 के किला न. 13, 18, 23 में स्वीकृतशुदा रास्ता को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 05.05.2025 को उपस्थित होकर श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 28.06.2019 की प्रति पेश कर उक्त निर्णय की पालना में रास्ता ना खुलवाये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय को सुनने के पश्चात ही रास्ता खुलवाने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना करते हुए पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.06.2025 को नायब तहसीलदार सूरतगढ़, भू0अ0निरीक्षक बख्तावरपुरा की उपस्थिति में रास्ता खुलवा दिया गया है। उक्त आदेश की पालना हो चुकी है। जिन आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई है उन आदेशों की पालना होने के कारण यह अपील बेसुद हो चुकी है। अपीलांट अब किसी तहर का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 3 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 136/18 सीगा 251 (क) आरटीए ब अनवान नरसी बनाम शेरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2018 में चक 2 डीओ ए के पत्थर न. 23/23 के किला न. 23 में 0.018 है0 पश्चिमी पासा, किला न. 18 में 0.018 है0 पश्चिमी पासा व किला न. 13 में 0.004 है0 पश्चिमी–दक्षिणी कोने में गैमुमकिन रास्ता मंजुर किया गया तथा प्रार्थी नरसी का रकबा चक 2 डीओए के पत्थर न. 23/23 के किला न. 6 में 0.040 है0 दक्षिणी पासा कलमजन कर अप्रार्थी शेरसिंह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिसके विरूद्ध शेरसिंह द्वारा श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 44/2019 अनवान शेरसिंह बनाम नरसी पेश की गई जो दिनांक 28.06.2019 आंशिक स्वीकार करते हुए रिमाण्ड की गई। शेरसिंह द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 05.05.2025 को प्रार्थनापत्र पेश कर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 06.11.2018 की पालना में स्वीकृत रास्ता खुलवाने तथा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 28.06.2019 की पालना में नहीं खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्रकरण में रास्ता खुलवाने [illegible] तक स्थगित रखी गई। तत्पश्चात रमेश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र मय दस्ता[illegible] करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने राजस्व रिक[illegible] जाने बाबत भू0अभिलेख निरीक्षक बख्तावरपुरा तथा पटवारी [illegible] को [illegible] आदेश दिनांक 09.05.2025 जारी कर दिया। अपीलांट शेरसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 09.05.2025 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई जिस पर हस्तगत प्रकरण की आदेशिका

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:53:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री) गंगानगर
951

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 20.05.2025 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2025 की क्रियान्विती स्थगित रखते हुए मौका की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात हस्तगत प्रकरण में उभय पक्ष की उपस्थिति में दिनांक 03.06.2025 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 09.05.2025 द्वारा जारी स्थगन निरस्त कर दिया गया। जिसके पश्चात रमेश कुमार द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष स्थगन निरस्त किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 2 डीओए तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 23/23 के किला न. 13, 18, 23 में मन्जूरशुदा रास्ता खुलवाने बाबत निवेदन किया, जो पटवारी हल्का भोपालपुरा की रिपोर्ट दिनांक 06.06.2025 अनुसार भू0अभिलेख निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार सूरतगढ़ की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेशों की पालना करते हुए रास्ता खुलवा दिया गया है।

चूंकि जब प्रकरण से संबंधित विवादित रास्ता ही खुलवा दिया गया है तो इस अपील संबंधित कोई अनुतोष शेष नही रहने से सारहीन हो चुकी है, जिसे खारिज करना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:53:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner